

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिसासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंवाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

Phone : 01382- 224570
Fax : 01382- 229847
Email: eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 657 / वन भूमि

दि. 5/7/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वनप्रभाग
लैन्सडौन

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पीडी गढ़वाल में नौगोव बुकण्डी मोटर मार्ग 4.86 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून द्वारा लगायी गयी 14 आपत्तियों के सम्बन्ध में। प्रपोजल सं0 (FP/UKJROAD/8123/2014)


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून द्वारा 14 आपत्तियों लगायी गयी है। जिसमें से 08 आपत्तियों का निस्तारण याचका विभाग से होना है, जिसका निस्तारण कर दिया गया है। शेष 06 आपत्तियों का निस्तारण आपके स्तर से होना है। वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा बन्द कर दिया गया है। जिसका कारण पूर्व में प्रस्ताव पर लगी आपत्तियों के निराकरण करने में लगा समय है जिसका निस्तारण कर लिया गया है। मार्ग के संरक्षण पर गोंव छोटे छोटे तोको पर बसा हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है। वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव को पुनः खोलने का कष्ट करे।

उक्त मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का बिन्दुवार ऑनलाईन निराकरण निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है।

क्रम सं0	आपत्ति	बिन्दुवार निस्तारण विवरण (ऑनलाई जिस पार्ट में किया गया है)
1	Component wise breakup is found incorrect. State Govt. may fill the correct information at para B 2.4 Part I.	B-2.4 Component wise breakup में निराकरण कर दिया है।
2	As per KML file, it is seen that not much habitation is present near the road proposed for construction. But population to be benefited is mentioned as 527. Thus the requirement of road is needed to be justified and duly authenticated by DFO.	बुकण्डी गांव छोटे छोटे तोको से मिलकर बना है, तथा समरेखण में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इन तोको की सम्मिलित जनसंख्या 522 है। अतः इन मोटर मार्ग से जोड़ना नितान्त आवश्यक है।
3	Detail regarding employment likely to be generated seems incorrect. Correct information at para E Part I may be filled.	E. Employment likely to be generated में निराकरण कर दिया है।
4	It is submitted that no alternative for the construction of said road is available because of dense forest falling in the area. This is not adequate reason for exploring the alternate. State govt. may explore the alternate road connecting these villages.	मार्ग के प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक समरेखण में और अधिक घना जंगल है। Additional information Details में NO Alternative alignment certificate by DFO अपलोड कर दिया है।
5	It is seen that FRA certificate submitted is undated. State Govt. May submit original copy of FRA with date and upload the same at para K Part I online along with all annexures.	K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted Upload a copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted
6	KML file uploaded for CA area is not matching with the digital map of CA area. State Govt. may remove this discrepancy and matched copy of DML & digital map may upload at designated place online	L. Details of land identified for Compensatory Afforestation में अपलोड कर दिया है।

7	Administrative approval, land schedule, muck dumping plan, CA scheme, CA site suitability certificate, Joint Inspection Report, work not start certificate and other undertakings are not found uploaded, which may be uploaded now as an additional document in Part I online.	<u>Additional information Details</u> में अपलोड कर दिया है।
8	Density is mentioned as 0.1 for 1072 trees in 4.86 ha, which seem to be incorrect and need to be review.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निस्तारण किया जाना है।
9	Details given at para 8 (i), Part II seems incorrect. State Govt. may recheck and fill the correct detail.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निस्तारण किया जाना है।
10	Data provided at para 14, Part II in district profile is not correct. State Govt. may fill the correct details in district profile.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निस्तारण किया जाना है।
11	In Site Inspection Report of DFO all fields are not filled. State Govt. may look into the matter and submit SIR with all fields duly filled.	<u>Additional information Details</u> में अपलोड कर दिया है।
12	It is required that tree proposed to be felled in proposal may be calculated again. Fresh list of trees proposed to be affected may be submitted and same may be provided at para 4, Part II online.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निस्तारण किया जाना है।
13	As per the DSS analysis, whole area falls in Moderately dense forest category, which is not suitable for raising CA. State Govt. may submit revised CA area with no MDF. With that all the revised maps KML file and Site Suitability Certificate may also be submitted and uploaded at designated places.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निस्तारण किया जाना है।
14	State Govt. may submit the original hard copy of the proposal.	याचका विभाग (खण्ड द्वारा) मूल प्रस्ताव पूर्व में ही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा करवा दिया गया है।

संलग्न:- आपत्तियों निस्तारण की छायाप्रति।



अधिशायी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

पत्रांक 657 / वन भूमि

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वनप्रभाग, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सहायक अभियन्ता -प्रथम पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड कोटद्वार को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण लैन्सडौन/कोटद्वार को संलग्न मूल प्रति उपलब्ध करवाये एवं Form A , part II. में लगी आपत्तियों जिनका निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन से होना है, का निराकरण करवाते हुये इस कार्यालय को सूचित करे।


अधिशायी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)